

कार्यालय प्रभारी अधिकारी केन्द्रीय भण्डार
राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर

क्रमांक एफ ()वित्त नियंत्रक/राजुवास/भण्डार/2024/37

दिनांक- ०५/०९/२०२४

नकारा सामग्री की नीलामी सूचना

सर्व साधरण को सूचित किया जाता है कि, विश्वविद्यालय प्रशासनिक कार्यालय, राजुवास, बीकानेर में अनुपयोगी सामान (नकारा सामग्री) फोटो स्टेट मशीन, बैटरी, कम्प्यूटर, लेपटॉप एवं अन्य फनीर्चर एवं विविध सामग्री जहां है एवं जो भी है, जैसी स्थिति में है, दिनांक 25/09/2024 को खुली नीलामी के द्वारा प्रातः 11 बजे केन्द्रीय भण्डार कार्यालय, राजुवास, बीकानेर में विक्रय की जानी है। उक्त नीलामी की जाने वाली सामग्री का पुस्तकीय मूल्य 78,46,223/- अठहतर लाख छियालीस हजार दौ सौ तेहस रूपए मात्र है। नीलामी में भाग लेने हेतु इच्छुक फर्म/व्यक्ति को धरोहर राशी 50,000/- अक्षरे पचास हजार रूपए मात्र नगद जमा करवाना होगा। नीलामी की जाने वाली सामग्री का अवलोकन दिनांक 23/09/2024 तक कार्यालय समय में किया जा सकता है। निविदा सम्बन्धित जानकारी (वेबसाईट www.rajuvas.org) से डाउनलोड कर सकते हैं।

कार्यालय अध्यक्ष

विश्वविद्यालय प्रशासनिक कार्यालय,
राजुवास, बीकानेर

कार्यालय प्रभारी अधिकारी केन्द्रीय भण्डार

राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर

क्रमांक एफ ()/यूएओ/राजुवास/भण्डार/2024/38

दिनांक - 04/09/2024

प्रबंध निदेशक,

राजस्थान संवाद,

सूचना एवं जन संपर्क विभाग,

सचिवालय जयपुर-302005

२१९४८५१८८३२३१३

विषय:- नकारा सामान को निलामी की सूचना प्रकाशन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि, राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर के विश्वविद्यालय प्रशासनिक कार्यालय में अनुपयोगी/अप्रचलित (नकारा सामग्री) की नीलामी हेतु निविदा सूचना संख्या क्रमांक एफ ()/यूएओ/राजुवास/भण्डार/2024/37 दिनांक 04/09/2024 संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। कृप्या इस का आरटीपीआर के नियमानुसार प्रकाशन 50000 प्रतियों और उससे अधिक का परिचालन वाले एक बीकानेर संभाग स्तरीय मुख्य दैनिक समाचार पत्र एवं वृहत् परिचालन वाले एक बीकानेर संभाग स्तरीय दैनिक समाचार पत्र में न्यूनतक साईज में डीआईपीआर दरों पर शीघ्र कराने का श्रम करें। विज्ञापन बिल अखबार की कटिंग सहित राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर के वित्त नियंत्रक कार्यालय के नाम भिजवाना सुनिश्चित करावें, जिससे विज्ञप्ति का भुगतान समय पर किया जा सके।

संलग्न:-निविदा सूचना


कार्यालय अध्यक्ष

विश्वविद्यालय प्रशासनिक कार्यालय,

राजुवास, बीकानेर

प्रपिलिपि:-

- श्रीमान् वित्त नियंत्रक, राजुवास, बीकानेर को सूचनार्थ प्रेषित है।
- नोडल अधिकारी (वेबसाईट rajuvas.org) राजुवास, बीकानेर को निविदा सूचना एवं निविदा शर्ते राजुवास की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
- नोटिस बोर्ड।
- बीकानेर संभाग।
- आरक्षित पत्रावली।


कार्यालय अध्यक्ष

विश्वविद्यालय प्रशासनिक कार्यालय,

राजुवास, बीकानेर

कार्यालय प्रभारी अधिकारी केन्द्रीय भण्डार

राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर

नकारा सामान/अप्रलित सामान/अनुपयोगी सामानों के नीलामी सम्बंधित

मुख्य शर्तें व नियम

1. केवल वे ही व्यक्ति/फर्म बोली में भाग ले सकेगा। जिनके द्वारा निविदा संख्या क्रमांक एफ ()/यूएओ/राजुवास/भण्डार/2024/37 दिनांक 04/09/2024 की पालना में धरोहर राशि जमा होगी। समस्त बोलीदाता की धरोहर राशि वित्त नियंत्रक कार्यालय के नकारा सामान से सम्बंधित कार्यवाही के पश्चात् लौटाई जावेगी।
2. अधिकतम बोलीदाता का नीलामी (स्वीकृत बोली) राशि का 25 प्रतिशत उसी समय (नगद/डाफट) द्वारा जमा करानी होगी, जो कि धरोहर राशी के अतिरिक्त होगी। शेष 75 प्रतिशत राशी 03 दिन के अन्दर—अन्दर जमा करवानी होगी अन्यथा धरोहर राशी व जमा कराई 25 प्रतिशत राशी जब्त कर ली जावेगी।
3. बोलीदाता को पूरी रकम जमा करने के पश्चात् ही सामान उठाने दिया जाएगा। सामान अधिकतम 15 दिन के अन्दर—अन्दर ही उठाना होगा।
4. बोलीदाता के पेन नम्बर/जीएसटी नम्बर की सत्यापित प्रति प्रस्तुत करने पर ही बोली में सम्मिलित हो सकेगा।
5. धरोहर राशी अन्तिम दो बोलीदातों को छोड़ शेष को मैके पर ही लौटा दी जावेगी।
6. नीलामी योग्य सामान जहा है, जैसा है, की सामुहिक बोली लगाई जाएगी।
7. अधिकतम बोलीदाता के पक्ष में बोली छोड़ने का अधिकार गठित कमेटी के अधिकार में होगा।
8. निलामी योग्य सामान सम्बन्धित स्थान में जहां है, जैसा है वो ही अधिकतम बोलीदाता को ले जाना होगा।
9. अधिकतम बोलीदाता के पक्ष में बोली छुटने पर अपने साधन व खर्च से सामान ले जाना होगा। विभाग द्वारा साधान/लेबर उपलब्ध नहीं करवाई जाएगी।
10. निलामी सम्बन्धित विभाग के प्रांगण में निर्धारित दिनांक/समाय पर बोलीदाताओं की उपस्थिति में प्रारम्भ की जावेगी।
11. अधिकतम बोलीदाता के पक्ष में बोली छुटने पर निलामी राशी पर लगने वाला जीएसटी नियमानुसार वाणिज्य कर विभाग में जमा करवा कर चालान कि मूल प्रति कार्यालय में प्रस्तुत करनी होंगी।
12. न्यूनतम बोली विश्वविद्यालय के द्वारा निर्धारित होगी, उसके आगे बोलीदाता द्वारा अपनी बोली लगायेगे।
13. निलामी कि बोली स्वीकार करने अथवा निलामी रद्द करने का अधिकार निलामी कमेटी का होगा।



कार्यालय अध्यक्ष

विश्वविद्यालय प्रशासनिक कार्यालय,

राजुवास, बीकानेर